रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224851
SG-DL-E-01022021-224851

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/ माघ 9, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 301
No. 40]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942	[N. C. T. D. No. 301

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

सं. फा. 11/77/2016/गृह पु.–II/371-379.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संतुष्ट हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ''इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), टिकरी कलां टर्मिनल, नई दिल्ली'' नामक स्थान के संबंध में या उसको हानि पहुँचाने के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना शत्रु के लिए उपयोगी होगी।

अब इसलिए, भारत का राजपत्र भाग–II, खंड–3 के उपखंड (ii) दिनांक 19 जनवरी, 1973 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 जनवरी, 1973 की अधिसूचना संख्या फा. 2/10/72–यूटीएल के साथ पठित शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम 19) की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त उक्त स्थान को प्रतिबंधित स्थान घोषित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम व उनके आदेशानुसार,

एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह)

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2021

No. F. 11/77/2016/HP-II/ 371-379.—Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that the place, namely 'Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Tikri Kalan Terminal, New Delhi' of Indian Oil Corporation Limited is such as any information with respect thereto or damage thereto would be useful to an enemy.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 2/10/72-UTL, dated the 19th January, 1973 published in the Gazette of India, Part-II, sub-section-(ii) of Section-3 dated 19th January, 1973 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the above said place to be prohibited place under the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM